दिनांक 29.06.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/शहर के पेयजल आपूर्ति में कर्मचारियों के हड़ताल के कारण हुए बाधा के लिए 77 एम.एल.डी. फिल्टर प्लांट के प्रभारी कार्यपालन अभियंता आर.के. साहू को कार्य में लापरवाही के कारण आयुक्त के.एल. चौहान ने निलंबित करते हुए सुनील जैन उप अभियंता को प्रभारी सहायक अभियंता के रुप में फिल्टर प्लांट में पदस्थ कर शहर में जलापूर्ति तथा श्रमिकों के वेतन भुगतान समय पर सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी है।

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में पेयजल सप्लाई हेतु 77 एम.एल.डी. जलागार एवं उच्च स्तरीय 8 टंकियों में पानी भरने एवं शहर में पेयजल सप्लाई हेतु प्लेसमेंट के माध्यम से लगाये गये ठेका कर्मियों की माह अक्टुबर 2016 से माह जनवरी 2017 तक का बिल एक साथ 4 माह का प्रस्तुत किया गया। जबकि बिल उसी माह में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए था। विलंब से बिल प्रस्तुत करने के कारण प्लेसमेंट एजेंसी एवं मजदुरों को समय पर मानदेय का भुगतान नहीं हो सका जिसके कारण दिनांक 27 एवं 28 जून तक प्लेसमेंट के मजदुर हड़ताल पर चले गये। जिससे शहर में पेयजल व्यवस्था बाधित हुआ। पेयजल व्यवस्था हेतु नियोजित मजदुरों की भुगतान के संबंध में प्रभारी कार्यपालन अभियंता आर.के. साहू गंभीरता पूर्वक कार्यवाही नहीं किये एवं समय पर देयक भी भुगतान हेतु कोई पहल नहीं किये यदि ठेकेदार द्वारा विलंब से बिल प्रस्तुत किया गया तो ठेकेदार के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही नहीं किये। जिसे आयुक्त के0एल0 चौहान ने कार्य के प्रति घोर लापरवाही माना है।

कार्य में लापरवाही बरतने एवं छ0ग0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1,2,3 के विरुद्ध आचरण होने के कारण आर.के. साहू प्रभारी कार्यपालन अभियंता जलकार्य नगर पालिक निगम भिलाई को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में श्री साहू मुख्य कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई में संलग्न रहेंगे।

आयुक्त ने पेयजल सप्लाई 77 एम.एल.डी. जलागार एवं उच्च स्तरीय 8 जलागार टंकियों में पानी भरने तथा शहर में सूचारु पेयजल की सप्लाई के लिए सुनील जैन उप अभियंता को प्रभारी सहायक अभियंता के रुप में 77 एम.एल.डी. फिल्टर प्लांट में पदस्थ करते हुए फिल्टर प्लांट जलागार तथा शहर के पानी टंकियों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही इस कार्य में लगे मजदुर तथा पम्प ऑपरेटरों का मानदेय भुगतान निर्धारित समय पर बिल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

जनसम्पर्क अधिकारी